CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

# हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 138 □ रायपुर, गुरुवार 11 जून 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

## रायपुर के एमजी रोड स्थित ऑटोमोबाइल शॉप में लगी आग

### मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, मचा हड़कंप

**रायपुर, 11 जून (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एमजी रोड स्थित ऑटोमोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। यह घटना मौदहापारा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, मौदहापारा थाने के ठीक सामने स्थित जया ऑटोमोबाइल में यह आग लगी है। स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। फिलहाल स्थानीय पुलिस और चार से पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

## सूरजपुर में ब्यूटी पार्लर और मनिहारी दुकान में लगी आग, लाखों के हुए नुकसान

**सूरजपुर, 11 जून (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मेन रोड प्रेमनगर में स्थित मनिहारी और ब्युटी पार्लर की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक,मेन रोड प्रेमनगर में स्थित प्रिंसी ब्यूटी पार्लर और मनिहारी दुकान में यह आग लगी है। बताया जा रहा है कि बच्चों के पूजा करने के दौरान यह आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका है।

## 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी कोतवाल को किया गिरफ्तार

**बालोद, 11 जून (हाईवे चैनल)।** जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 50 वर्षीय आरोपी कोतवाल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार मासूम बालिका अपनी सहेली के साथ गांव में खेल रही थी। इसी दौरान गांव के कोतवाल ने दोनों बच्चियों को अपने पास बुलाया। आरोपी ने पहले बालिका को चॉकलेट लेने के लिए दुकान भेजा। जब वह वापस लौटी तो उसने उसकी सहेली को किसी सामान के बहाने दुकान भेज दिया।

आरोप है कि सहेली के वहां से जाने के बाद आरोपी ने बालिका को टीवी दिखाने का झांसा दिया और अपने घर ले गया। घर के अंदर आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद डौंडीलोहारा थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है तथा पीड़ित बालिका और उसके परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

## नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, आज नामवापसी की आखिरी तारीख

**नई दिल्ली, 11 जून (न्यूज चैनल)।** सुप्रीम कोर्ट कल कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अपने राज्यसभा नामांकन पत्रों को खारिज किए जाने को चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसे अत्यंत तत्काल सुनवाई योग्य मामला बताया और शीघ्र सुनवाई या अंतरिम आदेश की मांग की। अदालत ने उनकी दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सिंघवी ने दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कहते हुए नामांकन खारिज किया कि नटराजन ने लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी, जबकि वास्तव में केवल समन जारी हुआ था और मामले में अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि यहां तक कि संज्ञान भी नहीं लिया गया था, फिर भी नामांकन खारिज कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अवैध, मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। साथ ही नामांकन खारिज करने के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश होते हुए आरोप लगाया कि उनका नामांकन गलत कानूनी आधार पर संक्षेप में खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही कहा कि वास्तविक कानूनी उपाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका (इलेक्शन पिटीशन) दायर करना है।

## ब्रेकिंग न्यूज

### एक और तृणमूल सांसद का इस्तीफा पीसी बराइक ने दिया त्यागपत्र

**नई दिल्ली, 11 जून (न्यूज चैनल)।** तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद ने त्यागपत्र दे दिया है। प्रकाश चिक बराइक आज राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस पार्टी में दरारें बढ़ती दिख रही हैं। बराइक ने राज्यसभा के सभापति को जो इस्तीफा भेजा है इसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात कही है। अब तक कुल तीन सांसद टीएमसी छोड़ चुके हैं। खबरों में किए जा रहे अपुष्ट दावों के मुताबिक करीब 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं। बंगाल में कई विधायक भी ऋ्रब्रत बनर्जी को नेता मानते हुए ममता बनर्जी का खेमा छोड़ने के संकेत दे चुके हैं।

## जटकन्हार पोस्ट ऑफिस घोटाले का आरोपी पोस्टमास्टर अब भी फरार, 245 शिकायतें और सिर्फ 32 लाख का सेटलमेंट

**डोंगरगढ़, 11 जून (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जटकन्हार पोस्ट ऑफिस में सामने आए कथित वित्तीय घोटाले का मामला महीनों बाद भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। सैकड़ों खाताधारकों की जमा पूंजी फंसने के बाद दर्ज हुई 245 शिकायतों में से बड़ी संख्या में मामले अब भी लंबित हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, अब तक केवल 32 लाख रुपये के सेटलमेंट को मंजूरी मिली है, जिनमें से भी लगभग 25 लाख रुपये ही प्रभावित खाताधारकों को लौटाए जा सके हैं। फरवरी 2026 में सामने आए इस मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। आरोप है कि जटकन्हार पोस्ट ऑफिस में पदस्थ तत्कालीन पोस्टमास्टर आशीष मांडवी ने खाताधारकों की जमा राशि में अनियमितता करते हुए लाखों रुपये का गबन किया। मामला उजागर होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने डोंगरगढ़ उप डाकघर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद डाक विभाग को विशेष शिकायत शिविर आयोजित करना पड़ा। डाक विभाग के विशेष शिविर में कुल 245 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच के बाद विभाग ने 32 लाख रुपये के सेटलमेंट को स्वीकृति दी।

## छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने शुरू कर दी विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी

**रायपुर, 11 जून (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह से चुनावी मोड में लाने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलने जा रही है।

खबर है कि प्रदेशभर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए एक बेहद खास ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में उन्हें चुनावी बिसात बिछाने से लेकर संगठन चलाने के सारे गुर सिखाए जाएंगे। रायपुर के पास अभनपुर में यह पूरा आयोजन होना तय हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बड़े आयोजन को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस इसे अपने जमीनी ढांचे को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया मान रही है। इस पाठशाला में जिलाध्यक्षों को सिखाया जाएगा कि कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव रखना है और जनता के बीच अपनी पैठ कैसे बढ़ानी है। पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि जो गलतियां पिछले चुनाव में हुईं, उन्हें दोबारा न दोहराया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट की मानें तो अभनपुर के एक बड़े वेन्यू को इसके लिए शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। इस पूरे आयोजन की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसमें शामिल होने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।

वे यहां सिर्फ भाषण देकर नहीं जाएंगे। वे सीधे हर जिले के अध्यक्ष से वन-टू-वन बात करेंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी पूरे दो दिन तक इस कैंप में रुक सकते हैं। वे हर जिले की जमीनी रिपोर्ट खुद चेक करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर वे अपना पर्सनल विजन और सीक्रेट रणनीति भी शेयर करेंगे।

## बिरादरी की बात

**चूहा- सुनती हो, दुनिया की सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत को शीर्ष 100 देशों में नहीं मिली जगह।**
**चुहिया- हां जी, लेकिन प्रधानमंत्रीजी तो कहते है हम लोग बहुत सुरक्षित हैं..!**

## छत्तीसगढ़ के सिंचाई जलाशयों में 52 प्रतिशत से अधिक पानी, पिछले दो वर्षों की तुलना में बेहतर स्थिति

**रायपुर, 11 जून (हाईवे चैनल)।** जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई जलाशयों में कुल 3329.41 मिलियन घनमीटर (एमसीयूएम) जल उपलब्ध है, जो कुल भंडारण क्षमता का 52.35 प्रतिशत है। यह स्थिति पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। राज्य के 12 प्रमुख जलाशयों में 5355.709 एमसीयूएम की डिज़ाइन क्षमता के विरुद्ध वर्तमान में 2924.319 एमसीयूएम जल संग्रहित है, जो 54.60 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी अवधि में प्रमुख जलाशयों में मात्र 31.56 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 में 26 प्रतिशत जल उपलब्ध था। इस प्रकार इस वर्ष प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष

की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत और वर्ष 2024 की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक है।

इसी प्रकार राज्य के 34 मध्यम जलाशयों में 1004.519 एमसीयूएम की कुल क्षमता के विरुद्ध 405.089 एमसीयूएम जल उपलब्ध है, जो कि जलभराव क्षमता का 40.33 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 28.83 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 26.48 प्रतिशत था। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के प्रमुख जलाशयों में कई जलाशय अच्छी स्थिति में हैं। धमतरी जिले का मुरूमसिल्ली जलाशय 81.50 प्रतिशत क्षमता के साथ सबसे अधिक भरा हुआ है। इसके अलावा कांकेर के दूधावा जलाशय में 74.70 प्रतिशत, मुंगेली के मनियारी जलाशय में 75.61 प्रतिशत, कबीरधाम के छिरपानी जलाशय में 75.64 प्रतिशत तथा कोरिया के झुमका जलाशय में 71.29 प्रतिशत जलभराव हैं। राज्य के सबसे बड़े जलाशय मिनीमाता बांगो में वर्तमान में 1626.21 एमसीयूएम जल उपलब्ध है, जो इस जलाशय की कुल क्षमता का 56.19 प्रतिशत है।

## जनप्रतिनिधि और तत्कालीन पटवारी पर लगे आरोप, 246 आवासों के लिए शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी की जांच शुरु

**सक्ती, 11 जून (हाईवे चैनल)।** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को लेकर बाराद्वार नगर पंचायत में विवाद गहराता जा रहा है। शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी कर आवास स्वीकृत कराने के आरोपों के बीच अब नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और तत्कालीन पटवारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। मामले की शिकायत के बाद जांच टीम गठित कर दी गई है, जो दस्तावेजों और जमीन से जुड़े अभिलेखों की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार नगर पंचायत बाराद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 288

### पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा!

आवासों की स्वीकृति के लिए दस्तावेज तैयार किए गए हैं। आरोप है कि इनमें से करीब 246 आवास आबादी और घास मद की भूमि पर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि घास मद की भूमि का उपयोग आवास निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन रिकॉर्ड में बदलाव कर इसे आबादी भूमि दर्शाया गया और संबंधित दस्तावेज तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिए गए। नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। उनका आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में कूट रचना कर शासकीय भूमि को आबादी भूमि दर्शाया गया है। शिकायत के बाद गठित जांच टीम दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्य जांच अधिकारियों को सौंप दिए हैं। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन स्थानों पर आज आवास बने हुए हैं, वहां कई लोग पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं।

### छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम नियमों में बड़ा बदलाव

## 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र स्व-घोषणा आधारित व्यवस्था लागू

**रायपुर, 11 जून (हाईवे चैनल)।** राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बना दिया है। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नियम 4, नियम 5 तथा प्रपत्र-2 को पूर्णत: प्रतिस्थापित कर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। नए संशोधनों का उद्देश्य व्यवसायों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना, मानवीय हस्तक्षेप कम करना तथा ऑनलाइन शासन व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है। संशोधित नियम 4 के तहत अब नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज तथा ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर वेब पोर्टल से श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। पहले पंजीयन प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर अधिक समय लगता था, जब कि अब समयबद्ध सेवा का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। संशोधन के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किया जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी तथा विभागीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा। नए नियमों के तहत वेब पोर्टल के माध्यम से जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पूर्णत: वैध माना जाएगा। यदि आवेदन में दी गई जानकारी, तथ्य या दस्तावेज भ्रामक, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाए जाते हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। इससे स्व-घोषणा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब प्रत्येक दुकान एवं स्थापना संचालक को प्रतिष्ठान के प्रमुख एवं स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने पुराने प्रपत्र-2 को पूरी तरह हटाकर नया प्रपत्र लागू किया है। इसमें पहले की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारियां शामिल की गई हैं। नई जानकारी जो दर्ज करनी होगी, उसमें श्रम पहचान संख्या एवं दिनांक, प्रतिष्ठान का पूरा पता, ई-मेल एवं मोबाइल नंबर, व्यवसाय, व्यापार का स्वरूप, निजी अथवा सार्वजनिक स्थापना का विवरण, संगठन का प्रकार (प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी संस्था आदि), ईएसआई एवं ईपीएफ पंजीयन की जानकारी, नियोक्ता एवं प्रबंधक का विवरण, मुख्यालय की जानकारी, कर्मचारियों का वर्गवार विवरण, साप्ताहिक अवकाश का उल्लेख, कर्मचारियों का विस्तृत विवरण शामिल है।

### मिशन उत्कर्ष के तहत बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक

## कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन और अनियमितताओं पर होगी सख्त कार्रवाईः कलेक्टर

**रायपुर, 11 जून (हाईवे चैनल)।** जिले में बोर्ड परीक्षा परिणामों को और बेहतर बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने आज रेडक्रॉस भवन रायपुर में जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की। बैठक में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2025-26 के परिणामों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक समीक्षा के दौरान डीएमसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में जिले का औसत परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं में 71.05 प्रतिशत तथा कक्षा 12वीं में 84.79 प्रतिशत रहा है। यह परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है और जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

हालांकि समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई अशासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम शासकीय विद्यालयों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहा है तथा कुछ विद्यालयों के परिणामों में पिछले सत्र की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह अधिकारी ने बिना पूर्व सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और आवश्यकतानुसार ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए।

कलेक्टर ने फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव तथा आरटीआई के दुरुपयोग करने वाले ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय में गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने निरीक्षण दल को विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से संबंधित जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों से कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क कर विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं के संबंध में उनकी संतुष्टि का फीडबैक प्राप्त करने को कहा। यदि किसी विद्यालय के संबंध में गंभीर शिकायतें अथवा असंतोषजनक स्थिति सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

CMYK